(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 23/2015–2020
दिनांकः 5 अगस्त, 2019

विषयः एचएस कोडों के लिए एमईआईएस जिनके लिए दरें पूर्व प्रभाव से बढ़ायी गई थी, के तहत अतिरिक्त लाभ का दावा करने हेतु प्रावधान।

विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा दिनांक 01.04.2015 की सार्वजनिक सूचना सं. 02 के द्वारा यथा अधिसूचित परिशिष्ट–3ख, तालिका 2 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:–

2. पैरा 9.03 के निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

मौजूदा पैरा 1.03 और (दिनांक 28.06.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 16 के द्वारा यथा संशोधित)	संशोधित पैरा 9.03
9.03 पूरक दावे जहां कहीं भी विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरक दावे के लिए आवेदन प्राप्त होता है तो हकदारी पर 2 प्रतिशत की दर से कटौती करने के बाद ऐसे आवेदन पर भी विचार किया जा सकता है। तथापि, एफटीपी 2015–20 के अध्याय 3 के तहत स्क्रिप्स के लिए कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।	**9.03 पूरक दावे** (i) जहां कहीं भी विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरक दावे के लिए आवदेन प्राप्त होता है, तो हकदारी पर 2 प्रतिशत की दर से कटौती करने के बाद ऐसे आवेदन पर भी विचार किया जा सकता है। (ii) केवल कतिपय एचएस कोडों के लिए एमईआईएस के तहत पूरक दावे ग्राह्य होंगे जिनके लिए इस संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के आधार पर पूर्व प्रभाव से एमईआईएस के लिए दरें बढ़ायी गई हैं। ऐसे मामलों में उपर्युक्त 9.03 (i) के अनुसार 2% की दर से पूरक कटौती लागू नहीं होगी। (iii) विदेश व्यापार नीति 2015–20 के अध्याय 3 के तहत किसी अन्य कारण के लिए कोई पूरक दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः एचएस कोडों के लिए एमईआईएस के तहत अतिरिक्त लाभ जारी करने से संबंधित समर्थकारी प्रावधान प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 में शामिल किया गया है जिसके लिए एमईआईएस के तहत बढ़ी हुई दरें पूर्व प्रभाव से अधिसूचित की गई थी।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft.@nic.in